

No. F. 3-5/2013-EC/
National Council of Educational Research and Training
Sri Aurobindo Marg, New Delhi - 110016
(Establishment Coordination Section)

Dated: 05.09.2016

ORDER


In supersession of Council's order of even number dated 09.09.2015 the Committee Against Sexual Harassment (CASH) for hearing the complaints pertaining to sexual harassment of women in work places has been re-constituted as follows:

S.No.	Composition of Committee against Sexual Harassment (CASH)	
1	Prof. Gauri Srivastava, DGS, NCERT	Chairperson
2	Prof. Anupam Ahuja, DGEN, NCERT	Member
3	Prof. Kiran Walia, DTE, NCERT	Member
4	Dr. Kavita Sharma, Associate Prof. DEE, NCERT	Member
5	Dr. (Smt.) V. Vijayalakshmi, Joint Commissioner, (Acad.), KVS, 18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi-110016	Member
6	Shri Ashok Kumar Panigrahi, Legal Consultant, NCERT, New Delhi. Chamber No.47, Lawyer's Chamber, Supreme Court, New Delhi - 110001	Member
7	Ms. Abha Munzni, Under Secretary, NCERT	Member
8	Shri Krishan Kumar, Section Officer (V&L), NCERT	Member

Under Secretary (EC Section) will act as Member Convener.

The Committee shall accept/hear complaints from the employees of the Council posted at Council Hqrs., and take appropriate steps for timely redressal of the complaints. The Complaints Committee shall submit the annual report to EC Section on the complaints received during the year alongwith the action taken reports by 31st January. The term of the Committee shall be Three Years or until further orders, whichever is earlier. The convener will coordinate and extend secretarial assistance to the Committee.

This issues with the approval of the competent authority.


(S.S. Bisht)
Under Secretary

All members of the Committee

Copy to:-

1. All Heads of Departments/Units/Cells of NIE
2. All Divisional Heads, VSO & Consultant PRO, NCERT
3. Chief Accounts Officer, NCERT
4. Deputy Secretary, CIET
5. All Branch Officers/Sections in the Council Sectt.
6. Administrative Officer, Publication Division, NCERT
7. PS to Director, NCERT
8. PS to Joint Director, NCERT
9. PS to Joint Director, CIET, NCERT
10. PS to Secretary, NCERT
11. Head, DICT, CIET for uploading on the NCERT website
12. Notice Board

सं.सं. 3-5/2013-ई.सी./847-701
 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्
 श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली-110016
 (स्थापना समन्वयन अनुभाग)

दिनांक : 05.09.2016

आदेश

परिषद् के दिनांक 09.09.2015 के समसंख्यक आदेश के अधिकमण में कार्यस्थलों में महिलाओं के यौन-उत्पीडन से संबद्ध शिकायतों की सुनवाई हेतु शिकायत समिति का पुर्नगठन निम्नवत किया गया है :


क्र.सं.	महिलाओं के यौन-उत्पीडन से संबद्ध शिकायतों की सुनवाई हेतु शिकायत समिति का संयोजन	
1	प्रोफेसर गौरी श्रीवास्तव (जेंडर अध्ययन विभाग), एन.सी.ई.आर.टी.	अध्यक्षा
2	प्रोफेसर अनुपम अहुजा (विशेष आवश्यकता समूह शिक्षा विभाग), एन.सी.ई.आर.टी.	सदस्या
3	प्रोफेसर किरण वालिया (अध्यापक शिक्षा विभाग), एन.सी.ई.आर.टी.	सदस्या
4	डॉ. कविता शर्मा, सह आचार्य प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी.	सदस्या
5	डॉ. (श्रीमति) वी. विजय लक्ष्मी, संयुक्त आयुक्त (शिक्षा), के. वि. संगठन 18, इंस्टीट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016	सदस्या
6	श्री अशोक कुमार पाणीग्रही, एडवोकेट एण्ड कानूनी सलाहकार, एन.सी.ई.आर.टी. चैम्बर नं.47, लॉयरस चैम्बर, सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली - 110001	सदस्य
7	श्रीमति आभा मुंजनी, अवर सचिव, एन.सी.ई.आर.टी.	सदस्या
8	श्री कृष्ण कुमार, अनुभाग अधिकारी, (सर्तकता एवं सुरक्षा अनुभाग), एन.सी.ई.आर.टी.	सदस्य

अवर सचिव (स्थापना समन्वयन अनुभाग) समिति के सदस्य संयोजक के तौर पर कार्य करेंगे ।

यह शिकायत समिति परिषद् मुख्यालय में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों की शिकायतों को स्वीकार/सुनवाई करेगी एवं शिकायतों का समय पर निवारण करने हेतु उचित कदम उठाएगी। शिकायत समिति वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों और उन पर की गई कारवाई की वार्षिक रिपोर्ट स्थापना समन्वय अनुभाग को 31 जनवरी तक प्रस्तुत करेगी।

समिति की अवधि तीन वर्षों के लिए होगी अथवा आगामी आदेशों के जारी होने तक जो भी पहले हो। सदस्य संयोजक, समिति का समन्वय करने के साथ-साथ सचिवालयी सहायता प्रदान करेंगे।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


5/9/16

(शिव सिंह बिष्ट)
अवर सचिव

समिति के सभी सदस्य

प्रति:

1. एन.आई.ई. के सभी विभागों/एककों/ प्रकोष्ठों के अध्यक्ष
2. मुख्य लेखाधिकारी, एन.सी.ई.आर.टी.
3. सभी प्रभागीय अध्यक्ष, सर्तकता एवं सुरक्षा अधिकारी और जन संपर्क अधिकारी, एन.सी.ई.आर.टी.
4. उप सचिव, सी.आई.ई.टी.
5. परिषद् सचिवालय के सभी शाखाधिकारी/अनुभाग
6. प्रशासनिक अधिकारी, प्रकाशन प्रभाग, एन.सी.ई.आर.टी.
7. निदेशक, एन.सी.ई.आर.टी. के निजि सचिव।
8. संयुक्त निदेशक, एन.सी.ई.आर.टी. के निजि सचिव।
9. संयुक्त निदेशक, सी.आई.ई.टी. के निजि सचिव।
10. सचिव, एन.सी.ई.आर.टी. के निजि सचिव।
11. विभागाध्यक्ष, डी.आई.सी.टी., सी.आई.ई.टी. -- परिषद् की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
12. सूचना पट्ट

